संख्या:76/2020/2097जेएल/22-3-2020-100(5)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 28 अक्टूबर, 2020*

विषय: जिला कारागार महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शेखर तिवारी पुत्र स्व0 कृष्ण कुमार तिवारी को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26180/सामा-1(8)/महराजगंज/2020, दिनांक 19-10-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती विभा तिवारी पत्नी शेखर तिवारी द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शेखर तिवारी पुत्र स्व0 कृष्ण कुमार तिवारी को जिला कारागार उरई (जालौन) में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:76/2020/2097जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज/जालौन।
4. पुलिस अधीक्षक, महराजगंज/जालौन।
5. अधीक्षक, जिला कारागार महराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी के जिला कारागार उरई (जालौन) में स्थानान्तरण/दाखिल होने की सूचना रेडियोग्राम से शासन को उपलब्ध करायें।
6. अधीक्षक, जिला कारागार उरई(जालौन)।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in